प्रकरण संख्या : 27 / 2025
रामभजन बनाम राज॰ सरकार
निर्णय दिनांक : 20.08.2025

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दौसा (जिला दौसा)

पीठासीन अधिकारी का नाम	:	मूलचन्द लूणिया, (आर॰ए॰एस॰)
प्रकरण संख्या	:	27 / 2025
दायर दिनांक	:	27.05.2025
निर्णय दिनांक	:	20.08.2025

1. रामभजन बैरवा पुत्र कजोडमल बैरवा जाति बैरवा, निवासी पालावास फर्राश वाली ढाणी तहसील दौसा जिला दौसा

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दौसा

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956

–: निर्णय :–

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 पेश कर निवेदन किया कि ग्राम पालावास तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 280, 282, 288, 289 / 424, 291 कुल रकबा 0.99 है॰ प्रार्थी की कब्जे काश्त की कृषि भूमि है। प्रार्थी का वास्तविक नाम रामभजन पुत्र कजोडमल बैरवा है। यह कि सहवन व भूलवश व अज्ञानता के कारण राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामधन दर्ज करा दिया है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक नाम रामभजन बैरवा है। रामधन तो प्रार्थी का बचपन का नाम है। रामधन व रामभजन दोनों ही नाम के एक ही व्यक्ति है। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त आराजी के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम रामधन लोपित किया जाकर उसके स्थान पर रामभजन बैरवा पुत्र कजोडमल बैरवा दर्ज कर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की तलबी की गयी। अप्रार्थी तहसीलदार दौसा ने जवाब प्रस्तुत कर प्रार्थी का नाम रामधन पुत्र कजोडमल के स्थान पर रामभजन पुत्र कजोडमल किया जाना उचित बताया।

प्रकरण में बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया एवं बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी प्रश्नगत आराजी के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड अंकित अपने नाम को दुरुस्त करवाना चाहता है। तहसीलदार दौसा ने अपने जवाब में प्रार्थी का नाम रामधन पुत्र कजोडमल के स्थान पर रामभजन पुत्र कजोडमल किया जाना उचित बताया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम पंचायत जौपाड़ा का एक पत्र प्रस्तुत किया है, जिसमें प्रार्थी का शुद्ध नाम रामभजन पुत्र कजोडमल होना अंकित किया गया है। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राज॰ भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता है एवं तहसीलदार दौसा को निर्देशित किया जाता है कि ग्राम पालावास तहसील दौसा स्थित खसरा नम्बर 280, 282, 288, 289 / 424, 291 कुल रकबा 0.99 है॰ के वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज प्रार्थी का नाम "रामधन पुत्र कजोड" के स्थान पर "रामभजन पुत्र कजोडमल" अंकित किया जावे [illegible] दार दौसा को पालना हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया तथा बाद मेरे हस्ताक्षर न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Moolchand Luniya
Date: 2025.10.08 17:49:15 IST
Reason: Self Attested

(मूलचन्द लूणिया)
उपखण्ड अधिकारी, दौसा

उपखण्ड अधिकारी
दौसा (राज॰)